



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.1/कनि.अभि.-सहा.अभि./स्था.-पद./2022/4171 जयपुर दिनांक- 23/9/22

—: आदेश :—

श्री रविन्द्र जोधावत, सहायक अभियन्ता का विभागीय आदेश क्रमांक 1285 दिनांक 25.4.2022 (क्रम संख्या 23) द्वारा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर से पंचायत समिति लाडनूँ जिला नागौर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन निरस्त किया जाता है। श्री जोधावत यथावत पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, अजमेर/नागौर।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर/नागौर।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
11. प्रभारी अधिकारी संबंधित कोर्ट केस।
12. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)